कोटपूतली में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों पर चर्चा की

कोटपूतली, (नि.सं.)। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से महासिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, अरुण कुमार सैनी, रमेश चंद रावत, दाताराम सैनी, राजवीर यादव एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रकाश चंद सैनी, सतीश निमोरिया, विकास सिंह शेखावत, राजेन्द्र प्रसाद एवं भीम सिंह गुर्जर मौजूद रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को पूरी तरह से जांचने की प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने और अपात्र नामों को हटाने का काम किया जाता है, ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे। उन्होंने कहा कि यह सूची बीएलओ के पास हार्ड कॉपी में तथा सीईओ और डी ई ओ कि वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण के अन्तर्गत भी बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस जाकर मतदाताओं की पहचान के रूप में एक साल सरल गणना पपत्र भरवाया जाना है एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने है. उन्होंने बताया कि गणना पपत्र में प्रविष्ठियां, जैसे निर्वाचक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फोटू, पता, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम पूर्व में ही मुद्रित होगा. मतदाता को गणना पपत्र में मात्र अपना नाम वर्तमान रंगीन फोटो लगाना है तथा इससे जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता का नाम, माता का नाम, पत्नीः पति का नाम एवं यदि इनके मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हों तो उनकी प्रविष्ठियां ही की जानी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) ओमप्रकाश सहारण ने विस्तार से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए मतदाताओं की श्रेणीवार व उपलब्ध संभावित दस्तावेजों, घर- घर गणना, ऑनलाइन पपत्र केसे सबमिट करें, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट के कार्य, विशेष गहन पुनरीक्षण अपील की जानकारी दी साथ ही दलों के प्रतिनिधियों के सवालों व सुझावों पर चर्चा की।

ग्राम कराणा में रात्रि चौपाल आज

कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में उपखंड नारायणपुर की ग्राम पंचायत कराणा में 30 जुलाई को सांय 6 बजे से रात्रि चौपाल होगी। उपखंड अधिकारी नारायणपुर दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। दी।

कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों की बैठक कलक्टर का मतदाता सूची की शुद्धता पर फोकस

न्यूज सर्विस/नवज्योति, कोटपूतली। आगामी चुनावों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में भाजपा के जिला महामंत्री सुरेन्द्र चौधरी समेत महासिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह, अरुण सैनी, रमेश चंद रावत, दाताराम सैनी, राजवीर यादव तथा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश सैनी व सतीश निमोरिया, विकास सिंह शेखावत, राजेन्द्र प्रसाद व भीम सिंह गुर्जर शामिल हुए। कलेक्टर गोस्वामी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी दर्ज करेंगे, जिसमें मतदाता का पूरा विवरण लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सूची बीएलओ के पास हार्ड कॉपी में उपलब्ध रहेगी और वेबसाइट पर ऑनलाइन भी देखी जा सकेगी। इस दौरान एडीएम ओमप्रकाश सहारण ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग के दिशा-निर्देशों, दस्तावेजों की वैधता, ऑनलाइन प्रक्रिया, बूथ एजेंट की भूमिका और अपील प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। बैठक के अंत में दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सवाल व सुझाव भी रखे, जिन पर सकारात्मक चर्चा हुई।

करावा में रात्रि चौपाल आज

: आमजन के परिवादों का स्थानीय स्तर पर निवारण करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में उपखण्ड नारायणपुर की ग्राम पंचायत कराणा के अटल सेवा केन्द्र में बुधवार को शाम 6 बजे से रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी नारायणपुर एसडीएम दिनेश शर्मा ने दी।

मलबा डंपिंग पर विरोध, कलक्टर ने दिए निर्देश: स्टेट हाईवे निर्माण के दौरान निकल रही वेस्ट मिट्टी और मलबे को सोता नदी के बहाव क्षेत्र में डंप किए जाने के विरोध में मंगलवार को खनन ग्रस्त संघर्ष समिति ने राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि भारी मात्रा में डाले जा रहे मलबे से प्राकृतिक जलप्रवाह बाधित हो रहा है और इससे खेत, जल स्रोत, चारागाह व वन्य जीवन पर संकट मंडरा रहा है। तहसीलदार को पूर्व में दिए गए परिवाद की जांच रिपोर्ट में भी डंपिंग की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आरएसआरडीसी के परियोजना निदेशक को मौके पर कॉल कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

घर-घर गणना की तैयारी, बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण

न्यूज सर्विस/नवज्योति, कोटपूतली। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत मंगलवार को यहां के राजकीय एलबीएस कॉलेज में बीएलओ प्रशिक्षण के दूसरे दिन उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम ओमप्रकाश सहारण ने प्रशिक्षण सत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को बताया कि राज्य में 23 सालों बाद एक बार फिर घर-घर जाकर मतदाता गणना की जा रही है। बीएलओ द्वारा भरवाए जाने वाले गणना प्रपत्र में अधिकांश जानकारी पहले से प्रिंटेड होगी। मतदाता को केवल अपना रंगीन फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या आदि भरनी होगी। सहारण ने बताया कि 53 प्रतिशत मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे, जबकि अन्य से एक-दो दस्तावेज और केवल 3 प्रतिशत से तीन दस्तावेज लिए जाएंगे। उन्होंने बीएलओ को किसी भी असुविधा की स्थिति में डीएलएमटी और एलएमटी से संपर्क करने की सलाह दी। डीएलएमटी राजेश कुमार यादव ने सर्वे प्रक्रिया, बीएलए और स्वयंसेवकों की भूमिका बताई। मास्टर ट्रेनर रामबीर यादव ने फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 के भरने और जांच की प्रक्रिया समझाई। इस दौरान सत्यवीर सिंह यादव, अतुल कुमार आर्य, रामावतार नागर, विजय सिंह, मुकेश मीणा और पप्पू यादव उपस्थित रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित

पावरफुल टाईम्स सवांददाता
कोटपूतली-बहरोड़, 29 जुलाईद्य जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई.

इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से महासिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, अरुण कुमार सैनी, रमेश चंद रावत, दाताराम सैनी, राजवीर यादव एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रकाश चंद सैनी, सतीश निमोरिया, विकास सिंह शेखावत, राजेन्द्र प्रसाद एवं भीम सिंह गुर्जर मौजूद रहे.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को पूरी तरह से जांचने की प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने और अपात्र नामों को हटाने का काम किया जाता है, ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे. उन्होंने कहा कि यह सूची बीएलओ के पास हार्ड कॉपी में तथा सीईओ और डी ई ओ कि वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण के अन्तर्गत भी बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस जाकर मतदाताओं की पहचान के रूप में एक साल सरल गणना पपत्र भरवाया जाना है एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने हैं. उन्होंने बताया कि गणना पपत्र में प्रविष्ठियां, जैसे निर्वाचक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फोटू, पता, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम पूर्व में ही मुद्रित होगा. मतदाता को गणना पपत्र में मात्र अपना नाम वर्तमान रंगीन फोटू लगाना है तथाइससे जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी/ पति का नाम एवं यदि इनके मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हों तो उनकी प्रविष्ठियां ही की जानी हैं.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) ओमप्रकाश सहारण ने विस्तार से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए मतदाताओं की श्रेणीवार व उपलब्ध संभावित दस्तावेजों, घर- घर गणना, ऑनलाइन पपत्र केसे सबमिट करें, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट के कार्य, विशेष गहन पुनरीक्षण अपील की जानकारी दी साथ ही दलों के प्रतिनिधियों के सवालों व सुझावों पर चर्चा की.

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस/ कोटपूतली । जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री सुरेन्द्र चौधरी, महासिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह, अरुण कुमार सैनी, रमेश चंद रावत, दाताराम सैनी, राजवीर यादव एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रकाश चंद सैनी, सतीश निमोरिया, विकास सिंह शेखावत, राजेन्द्र प्रसाद एवं भीमसिंह गुर्जर मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची को पूरी तरह से जांचने की प्रक्रिया है। जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने और अपात्र नामों को हटाने का काम किया जाता है। ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी और विष्वसनीय बनी रहे। उन्हों कहा कि यह सूची बीएलओ के पास हार्ड कॉपी में तथा सीईओ और डीईओ कि वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण के अन्तर्गत भी बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस जाकर मतदाताओं की पहचान के रूप में एक साल सरल गणना पपत्र भरवाया जाना है एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने है। उन्होंने बताया कि गणना पपत्र में प्रविष्ठियां, जैसे निर्वाचक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फोटू, पता, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम पूर्व में ही मुद्रित होगा। मतदाता को गणना पपत्र में मात्र अपना नाम वर्तमान रंगीन फोटू लगाना है तथा इससे जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी/पति का नाम एवं यदि इनके मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हों तो उनकी प्रविष्ठियां ही की जानी हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) ओमप्रकाश सहारण ने विस्तार से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए मतदाताओं की श्रेणीवार व उपलब्ध संभावित दस्तावेजों, घर-घर गणना, ऑनलाइन पपत्र केसे सबमिट करें, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट के कार्य, विशेष गहन पुनरीक्षण अपील की जानकारी दी साथ ही दलों के प्रतिनिधियों के सवालों व सुझावों पर चर्चा की।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने बीएलओ को बताई पुनरीक्षण कार्यक्रम की बारीकियां

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस/ कोटपूतली । मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ के प्रशिक्षण के दूसरे दिन मंगलवार को जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं उप-जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली में निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए और उपस्थित बीएलओ को बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान का कार्य किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राजस्थान में 23 वर्ष पहले 2002 में की गई थी। वर्तमान में बीएलओ के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाया जाना है एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जाने है। इस गणना प्रपत्र में डिटेल पहले से भरी होगी एवं मतदाता को वर्तमान रंगीन फोटो लगाना है तथा जन्म तारीख, मोबाईल नंबर, आधार संख्या सहित अन्य प्रविष्टियां की जानी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजस्थान में लगभग 53 प्रतिशत मतदाता ऐसे मिलेगें जिनका नाम मतदाता सूची में मिलेगा जिनसे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नही लिया जाना है, केवल गणना प्रपत्र भरवाना है। दूसरे मतदाताओं से एक अथवा दो दस्तावेज (एक स्वयं का एवं दूसरा उनके माता-पिता) एवं केवल 3 प्रतिशत ही ऐसे मतदाता होगें जिनसे 3 दस्तावेज प्राप्त करने है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आये या जानकारी प्राप्त करनी हो तो डीएलएमटी एवं एलएमटी से संपर्क कर सकते है। डीएलएमटी राजेश कुमार यादव ने बीएलओ को सर्वे के दौरान किये जाने वाले कार्य एवं बीएलए एवं स्वंयसेवकों से सम्पर्क कर गणना प्रपत्र संकलन के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर रामबीर यादव ने बताया कि मतदाता से गणना प्रपत्र कैसे भरवाया जाना है एवं फार्म नंबर 6, 7 एवं 8 किस तरह से ईआरओ द्वारा स्वीकार/अस्वीकार किये जायेगें। परीक्षण के दौरान 50 बूथ स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सत्यवीर सिंह यादव मास्टर ट्रेनर, अतुल कुमार आर्य, रामावतार नागर, विजय सिंह, मुकेश मीणा, पप्पू यादव सहित संबंधित उपस्थित रहे।

बीएलओ प्रशिक्षण का निरीक्षण, गणना प्रपत्र की प्रक्रिया समझाई गई

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने किया प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण, 50 बीएलओ रहे उपस्थित

मरूधर विशेष

कोटपूतली, । मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बीएलओ प्रशिक्षण के दूसरे दिन उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला प्रशिक्षण नोडल अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली में प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान की जाती है। यह प्रक्रिया राज्य में 23 वर्ष पूर्व वर्ष 2002 में भी अपनाई गई थी। वर्तमान में बीएलओ को गणना प्रपत्र भरवाना है, जिसमें अधिकांश विवरण पूर्व से ही मुद्रित रहेंगे। मतदाता को केवल वर्तमान रंगीन फोटो चिपकाना होगा और जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या सहित आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करनी होंगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि लगभग 53 प्रतिशत मतदाता ऐसे होंगे जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है, और उनसे किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाएगा—सिर्फ गणना प्रपत्र भरवाना होगा। अन्य मतदाताओं से एक या दो दस्तावेज (स्वयं के तथा माता-पिता के) लिए जाएंगे, जबकि केवल लगभग तीन प्रतिशत मतदाताओं से तीन दस्तावेज लिए जाने की आवश्यकता होगी। किसी प्रकार की समस्या होने पर बीएलओ अपने डीएलएमटी या एलएमटी से संपर्क कर सकते हैं। डीएलएमटी राजेश कुमार यादव ने सर्वे के दौरान किए जाने वाले कार्यों और बीएलए एवं स्वयंसेवकों के साथ समन्वय की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर रामबीर यादव ने मतदाता से गणना प्रपत्र भरवाने की विधि समझाई एवं फार्म नंबर 6, 7 और 8 की स्वीकृति या अस्वीकृति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया, जो ईआरओ द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 50 बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर सत्यवीर सिंह यादव, अतुल कुमार आर्य, रामावतार नागर, विजय सिंह, मुकेश मीणा और पप्पू यादव सहित अन्य प्रशिक्षण सहयोगी उपस्थित रहे।

बीएलओ के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण आयोजित

हमसब की वाइस

कोटपूतली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के प्रशिक्षण का दूसरा दिन लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली में आयोजित हुआ। इस दौरान उप-जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।सहारण ने उपस्थित बीएलओ को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की बारीकियां बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान की जाती है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राजस्थान में 23 साल पहले 2002 में की गई थी।

वर्तमान में बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र भरवाए जाने हैं और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं। इस गणना प्रपत्र में मतदाताओं की जानकारी पहले से भरी होगी, जिसमें उन्हें अपनी वर्तमान रंगीन फोटो, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या सहित अन्य प्रविष्टियां करनी होंगी।

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि राजस्थान में लगभग 53 प्रतिशत मतदाता ऐसे मिलेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होगा और उनसे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं लिया जाना है, केवल गणना प्रपत्र भरवाना है। अन्य मतदाताओं से एक या दो दस्तावेज (एक स्वयं का और दूसरा उनके माता-पिता का) लिए जाएंगे, और केवल 3 प्रतिशत मतदाता ऐसे होंगे जिनसे तीन दस्तावेज प्राप्त करने होंगे। उन्होंने बीएलओ को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की परेशानी या जानकारी के लिए वे डीएलएमटी (जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर) और एलएमटी (स्थानीय मास्टर ट्रेनर) से संपर्क कर सकते हैं।

इस अवसर पर डीएलएमटी राजेश कुमार यादव ने बीएलओ को सर्वे के दौरान किए जाने वाले कार्यों और बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) एवं स्वयंसेवकों से संपर्क कर गणना प्रपत्र संकलन के बारे में जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर रामबीर यादव ने बताया कि मतदाता से गणना प्रपत्र कैसे भरवाया जाना है और फॉर्म नंबर 6, 7 एवं 8 किस तरह से ईआरओ (निर्वाचकरजिस्ट्रीकरण अधिकारी) द्वारा स्वीकार/अस्वीकार किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान 50 बूथ स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सत्यवीर सिंह यादव (मास्टर ट्रेनर), अतुल कुमार आर्य, रामावतार नागर, विजय सिंह, मुकेश मीणा, पप्पू यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बीएलओ के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम

बढ़ता राजस्थान

कोटपूतली।बिल्लूराम सैनी)मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के प्रशिक्षण का दूसरा दिन लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली में आयोजित हुआ। इस दौरान उप-जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।सहारण ने उपस्थित बीएलओ को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की बारीकियां बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान की जाती है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राजस्थान में 23 साल पहले 2002 में की गई थी। वर्तमान में बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र भरवाए जाने हैं और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं। इस गणना प्रपत्र में मतदाताओं की जानकारी पहले से भरी होगी, जिसमें उन्हें अपनी वर्तमान रंगीन फोटो, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या सहित अन्य प्रविष्टियां करनी होंगी।उप-जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि राजस्थान में लगभग 53 प्रतिशत मतदाता ऐसे मिलेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होगा और उनसे किसी भी प्रकार का कोई

राजनीतिक दलों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 पर चर्चा

मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक, बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर होगी गणना

मरूधर विशेष

कोटपूतली-बहरोड़, । (सीताराम गुप्ता) विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के अंतर्गत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूची के पुनरीक्षण संबंधी प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महासिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, अरुण कुमार सैनी, रमेश चंद रावत, दाताराम सैनी और राजवीर यादव उपस्थित रहे, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से प्रकाश चंद सैनी, सतीश निमोरिया, विकास सिंह शेखावत, राजेन्द्र प्रसाद एवं भीम सिंह गुर्जर ने भाग लिया।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। इसके अंतर्गत पात्र मतदाताओं के नामों को जोड़ा जाता है तथा मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्तियों के नामों को सूची से हटाया जाता है। उन्होंने बताया कि संशोधित मतदाता सूची बीएलओ के पास हार्ड कॉपी में तथा सीईओ और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान के लिए 'एक साल सरल गणना पत्रक' भरवाया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे। इस गणना पत्रक में निर्वाचक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, पुराना फोटो, पता, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम पूर्व मुद्रित रहेगा। मतदाता को केवल अपने वर्तमान रंगीन फोटो के साथ जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या (वैकल्पिक), माता-पिता अथवा पति/पत्नी का नाम तथा यदि उनके पहचान पत्र उपलब्ध हों तो संबंधित जानकारी भरनी होगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) ओमप्रकाश सहारण ने बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की श्रेणीवार पहचान, संभावित दस्तावेजों की सूची, घर-घर गणना की प्रक्रिया, ऑनलाइन पत्रक कैसे भरें, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स की भूमिका, विशेष पुनरीक्षण के दौरान अपील की प्रक्रिया आदि विषयों पर भी प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव और सवाल भी रखे, जिनका अधिकारियों द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया। जिला प्रशासन की ओर से सभी राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग का आग्रह किया गया, जिससे आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय बन सके।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025

हमसब की वाइस

कोटपूतली। मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी से महासिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, अरुण कुमार सैनी, रमेश चंद रावत, दाताराम सैनी और राजवीर यादव उपस्थित रहे। वहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रकाश चंद सैनी,सतीश निमोरिया, विकास सिंह शेखावत, राजेन्द्र प्रसाद और भीम सिंह गुर्जर ने भाग लिया।

मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करना

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से जांचना है। इस प्रक्रिया में सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल किया जाएगा और अपात्र नामों को हटाया जाएगा, ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे।

उन्होंने यह भी बताया कि यह सूची बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास हार्ड कॉपी में उपलब्ध रहेगी, साथ ही सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) और डीईओ (जिला निर्वाचन अधिकारी) की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी देखी जा सकेगी।

घर-घर गणना और आवश्यक दस्तावेज

पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान के रूप में एक "एक साल सरल गणना प्रपत्र" भरवाया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र में निर्वाचक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फोटो, पता, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम पहले से ही मुद्रित होगा।मतदाता को गणना प्रपत्र में केवल अपना नाम, वर्तमान रंगीन फोटो, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, आधार संख्या (जो वैकल्पिक है), पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी/पति का नाम और यदि इनके मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध हों, तो उनकी प्रविष्टियां ही करनी होंगी। निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों पर चर्चा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलक्टर) ओमप्रकाश सहारण ने विस्तार से निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाताओं की श्रेणीवार संभावित दस्तावेज, घर-घर गणना की प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रपत्र सबमिट करने का तरीका, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट के कार्य और विशेष गहन पुनरीक्षण अपील की जानकारी प्रदान की। बैठक के दौरान, दलों के प्रतिनिधियों के सवालों और सुझावों पर भी चर्चा की गई, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

दैनिक भास्कर

करौली 30-07-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण

हिंडौन सिटी| निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिण्डौन के बूथ लेवल अधिकारियों व पर्यवेक्षकों का 50-50 के 2 बैच में पंचायत समिति हिण्डौन के सभागार में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर व विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर के द्वारा दिया गया।

इस प्रशिक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बताया गया कि वर्तमान मतदाता सूची जिन मतदाताओं के नाम दर्ज है उनका सत्यापन किया जाना है, सभी मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाने की पूर्ण प्रक्रिया बारे में बताया गया। उक्त प्रशिक्षण में योगेश शर्मा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, राजवीर सिंह डागुर, आनंद शर्मा, लक्ष्मण गुप्ता, मनीष भारद्वाज, ओमप्रकाश जाटव विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया। इस अवसर पर चुनाव शाखा के नितिन कुमार, पीतम चंद आदि मौजूद रहे।

हिंडौन सिटी। विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण दिया।

कलेक्टर ने निरीक्षण किया

हिंडौन सिटी| निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिण्डौन के 31बूथ लेवल अधिकारियों व 2 पर्यवेक्षकों व 3 बैच में पंचायत समिति हिण्डौन के सभागार में दिये प्रशिक्षण का मंगलवार को कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने निरीक्षण किया। सक्सेना ने बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान मतदाता सूची जिन मतदाताओं के नाम दर्ज है। उनका सत्यापन किया जाना है। सभी मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाने की पूर्ण प्रक्रिया बारे में बताया गया। योगेश शर्मा मास्टर ट्रेनर आदि मौजूद थे।

बीएलओ को प्रशिक्षण दिया

टोडाभीम| टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उपखंड कार्यालय सभागार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन उपखंड अधिकारी (एसडीएम) पूजा मीना की अध्यक्षता में किया गया।प्रशिक्षण सत्र में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर तथा विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बीएलओ को पुनरीक्षण से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।

हुक्मनामा समाचार

https://www.hukmnamasamachar.com
30 July, 2025 - Page 5

जयसमंद एवं गिंगला के बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित

सलूंबर (हुक्मनामा समाचार)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पंचायत समिति सलूंबर सभागार में विधानसभा सलूंबर के अंतर्गत जयसमंद एवं गिंगला में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों संबोधित करते हुए कहा कि वे मतदाताओं की जिज्ञासाओं को प्राथमिकता से संतुष्ट करते हुए कार्य करें तथा दिशा-निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मसात करें ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति न हो। उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कार्यों को कैटेगरी अनुसार चिन्हित कर पारदर्शिता व गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ धरातल पर कार्यों का क्रियान्वयन सुनियोजित रूप से करें एवं समय-समय पर समीक्षा करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ने प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुचारु निगरानी बनाए रखने के की विस्तृत जानकारी दी। दक्ष प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सलूंबर विधानसभा के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को मास्टर ट्रेनर द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। आज सलूंबर एवं सेमारी के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा आज 30 जुलाई को प्रथम पारी में सलूंबर तथा द्वितीय पारी में सलूंबर एवं सेमारी के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को 50- 50 के बेंच में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जयसमंद एवं गिंगला के बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित

प्रशिक्षण में पारदर्शिता सुव्यवस्थित एवं प्रभावी निगरानी पर विशेष जोर: उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत

● पदमावत मीडिया

सलूंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पंचायत समिति सलूंबर सभागार में विधानसभा सलूंबर के अंतर्गत जयसमंद एवं गिंगला में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों संबोधित करते हुए कहा कि वे मतदाताओं की जिज्ञासाओं को प्राथमिकता से संतुष्ट करते हुए कार्य करें तथा दिशा-निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मसात करें ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति न हो। उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कार्यों को कैटेगरी अनुसार चिन्हित कर पारदर्शिता व गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ धरातल पर कार्यों का क्रियान्वयन सुनियोजित रूप से करें एवं समय-समय पर समीक्षा करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ने प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुचारु निगरानी बनाए रखने के की विस्तृत जानकारी दी। दक्ष प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सलूंबर विधानसभा के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को मास्टर ट्रेनर द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। आज सलूंबर एवं सेमारी के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा आज 30 जुलाई को प्रथम पारी में सलूंबर तथा द्वितीय पारी में सलूंबर एवं सेमारी के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को 50-50 के बेंच में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दैनिक नवज्योति

aas pas - 30 Jul 2025 - Page 8

उमा देवी,मोहन बाई आदि मौजूद रहे।

बीएलओ एवं सुपरवाइजर को दिया प्रशिक्षण

नवज्योति/सलूंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पंचायत समिति सलूंबर सभागार में विधानसभा सलूंबर के तहत जयसमंद एवं गिंगला में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण हुआ । प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों संबोधित करते हुए कहा कि वे मतदाताओं की जिज्ञासाओं को प्राथमिकता से संतुष्ट करते हुए कार्य करें तथा दिशा-निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मसात करें ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति न हो। उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कार्यों को कैटेगरी अनुसार चिन्हित कर पारदर्शिता व गंभीरता से करें। दक्ष प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सलूंबर विधानसभा के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को मास्टर ट्रेनर द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

पत्रिका

जयसमंद और गींगला के बीएलओ-पर्यवेक्षकों का विशेष प्रशिक्षण

सलूम्बर@पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पंचायत समिति सलूम्बर सभागार में विधानसभा के तहत जयसमंद और गींगला में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजर और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने बीएलओ, सुपरवाइजर और पर्यवेक्षकों से कहा कि वे मतदाताओं की जिज्ञासा को प्राथमिकता से संतुष्ट करते हुए काम करें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कार्यों को कैटेगरी अनुसार चिह्नित कर पारदर्शिता व गंभीरता से करें। प्रशिक्षण में मौजूद अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुचारु निगरानी बनाए रखने की विस्तृत जानकारी दी। दक्ष प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सलूंबर विधानसभा के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को मास्टर ट्रेनर की ओर से पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।

30/07/2025 | Udaipur Zila | Page : 5
Source : https://epaper.patrika.com/

जयसमंद एवं गिंगला के बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण आयोजित

■ सच बेखौफ

सलूंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पंचायत समिति सलूंबर सभागार में विधानसभा सलूंबर के अंतर्गत जयसमंद एवं गिंगला में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ । प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों संबोधित करते हुए कहा कि वे मतदाताओं की जिज्ञासाओं को प्राथमिकता से संतुष्ट करते हुए कार्य करें तथा दिशा-निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मसात करें ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति न हो। उन्होंने कहा कि समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कार्यों को कैटेगरी अनुसार चिन्हित कर पारदर्शिता व गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ धरातल पर कार्यों का क्रियान्वयन सुनियोजित रूप से करें एवं समय-समय पर समीक्षा करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ने प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुचारु निगरानी बनाए रखने के की विस्तृत जानकारी दी। दक्ष प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर ने बताया कि सलूंबर विधानसभा के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को मास्टर ट्रेनर द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। आज 30 जुलाई को प्रथम पारी में सलूंबर तथा द्वितीय पारी में सलूंबर एवं सेमारी के बीएलओ एवं सुपरवाइजर को 50ऽ 50 के बेंच में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दैनिक भास्कर उदयपुर जिला 30-07-2025

मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी पर विशेष जोर

सलूंबर| पंचायत समिति सलूंबर सभागार में मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र सलूंबर के अंतर्गत जयसमंद एवं गिंगला क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत ने कहा कि सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षक निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान रखते हुए पारदर्शी, सुनियोजित एवं संवेदनशील रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ मतदाताओं की समस्याओं को प्राथमिकता से समझें और समाधान करें, ताकि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जुलाई को प्रथम पारी में सलूंबर तथा द्वितीय पारी में सलूंबर एवं सेमारी क्षेत्र के बीएलओ व सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भीलवाड़ा भास्कर 30-07-2025

कलेक्टर ने बीएलओ और पर्यवेक्षकों से संवाद किया

भीलवाड़ा | सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें मतदाता सूची के शुद्धिकरण संबंधी कार्यों को निष्ठा, पारदर्शिता और सावधानी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म संकलन, जन्मतिथि सत्यापन, मतदाता सहायता और बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर बीएलओ को व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। हर फॉर्म को नियमों के अनुरूप जांचकर ही स्वीकार या अस्वीकार किया जाए। यदि किसी प्रक्रिया को लेकर शंका हो तो तुरंत मास्टर ट्रेनर या वरिष्ठ अधिकारी से स्पष्ट करें। उन्होंने फॉर्म की गंभीरता, दस्तावेजों की प्रमाणिकता और अनुक्रमांक के क्रम में दर्ज करने की प्रक्रिया को सही तरीके से समझने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 11 आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में मास्टर ट्रेनर्स से जानकारी अवश्य लें। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा ने कहा कि प्रशिक्षणार्थी को यदि कोई संशय हो तो 'डाउट सेशन' के माध्यम से उसे तुरंत क्लियर करें।

दैनिक नवज्योति

bhilwara - 30 Jul 2025 - Page 2

मौजूद रहे। सभी ने पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली।

बीएलओ व पर्यवेक्षक प्रशिक्षण का किया निरीक्षण

न्यूज सर्विस/नवज्योति, भीलवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेभर में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की कड़ी में सेमुमा राजकीय कन्या विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें मतदाता सूची के शुद्धिकरण संबंधी कार्यों को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और सावधानी से करने के निर्देश दिए।

पानी
ांसा

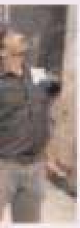

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025; जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ व पर्यवेक्षक प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण

फॉर्म भरने से लेकर मतदाता सहायता तक, जिम्मेदारी से करें कार्य-जिला निर्वाचन अधिकारी

हमसब की वाइस

भीलवाड़ा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेभर में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें मतदाता सूची के शुद्धिकरण संबंधी कार्यों को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और सावधानी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म संकलन, जन्मतिथि सत्यापन, मतदाता सहायता, और बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर सभी बीएलओ को स्पष्ट और व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि हर बीएलओ को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उसे कितने पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। हर फॉर्म को नियमों के अनुरूप जांचकर ही स्वीकार या अस्वीकार किया जाए। अगर किसी प्रक्रिया को लेकर शंका हो तो तुरंत मास्टर ट्रेनर या वरिष्ठ अधिकारी से स्पष्ट करें। उन्होंने फॉर्म की गंभीरता, दस्तावेजों की प्रमाणिकता और अनुक्रमांक के क्रम में दर्ज करने की प्रक्रिया को सही तरीके से समझने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 11 आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में मास्टर ट्रेनर्स से जानकारी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाने के लिए इसे छोटे-छोटे समूहों में आयोजित किया गया है ताकि हर बीएलओ और पर्यवेक्षक को पर्याप्त समय और स्पष्टीकरण मिल सके। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओमप्रकाश मेहरा ने भी प्रशिक्षण में मौजूद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें, अच्छे से सीखें और यदि कोई संशय हो तो डाउट सेशन के माध्यम से उसे तुरंत क्लियर करें। इसी से कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम के दौरान बीएलओ के कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें लोकतंत्र की पहली कड़ी बताया गया और प्रशिक्षण को पूर्ण मनोयोग से लेने की अपील की गई। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह, तहसीलदार दिनेश साहू सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों व परिजनों की; टीबी एवं

विद्यालय की चार दिवारी नही होने से

सचिव ललित गोयल द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि न्यास में पदस्थापित सभी अधिकारी एवं

कालूराम माली को जांच कार्य हेतु लगाया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया नगर एवं तिलक नगर योजना हेतु अधीक्षण

श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक गोपाल तोतला एवं कनिष्ठ सहायक श्यामलाल प्रजापत को नियुक्त किया गया है। पंचवटी योजना

किया गया है। उनके साथ सहायक अभियंता अरविंद व्यास, कनिष्ठ सहायक कुश कावरा एवं दिलीप जोशी कार्य करेंगे।

फॉर्म भरने से लेकर मतदाता सहायता तक, जिम्मेदारी से करें कार्य- संधू

भीलवाड़ा ■ संवाद सूत्र

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेभर में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें मतदाता सूची के

शुद्धिकरण संबंधी कार्यों को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और सावधानी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म संकलन, जन्मतिथि सत्यापन, मतदाता सहायता, और बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर सभी बीएलओ को स्पष्ट और व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हर बीएलओ को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उसे कितने पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। हर फॉर्म को नियमों के अनुरूप जांचकर ही स्वीकार या अस्वीकार किया जाए। अगर किसी प्रक्रिया को लेकर शंका हो तो तुरंत मास्टर ट्रेनर या वरिष्ठ अधिकारी से स्पष्ट करें। उन्होंने फॉर्म की गंभीरता, दस्तावेजों की प्रमाणिकता और अनुक्रमांक के क्रम में दर्ज करने की प्रक्रिया को सही तरीके से समझने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 11 आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में मास्टर ट्रेनर्स से जानकारी अवश्य लें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाने के लिए इसे छोटे-छोटे समूहों में आयोजित किया गया है ताकि हर बीएलओ और पर्यवेक्षक को पर्याप्त समय और स्पष्टीकरण मिल सके। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा ने भी प्रशिक्षण में मौजूद अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें, अच्छे से सीखें और यदि कोई संशय हो तो 'डाउट सेशन' के माध्यम से उसे तुरंत क्लियर करें। इसी से कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

लोक संस्कृति और धार्मिक समर्पण का भाव जगाया।

मतदाता पुनरीक्षण प्रशिक्षण का डीईओ ने किया औचक निरीक्षण, बीएलओ को दिए जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश

भीलवाड़ा फोकस @ शाहपुरा

भीलवाड़ा । विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत चल रहे बीएलओ और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण सत्र का मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या विद्यालय में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ से सीधा संवाद करते हुए कहा कि ÷फॉर्म भरने से लेकर मतदाता सहायता तक हर कार्य जिम्मेदारी से करें।÷ उन्होंने मतदाता सूची शुद्धिकरण, जन्मतिथि सत्यापन, फॉर्म जांच, वरिष्ठ व दिव्यांग मतदाताओं की सहायता जैसे कार्यों में पारदर्शिता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ को यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि उन्हें कितने नए पात्र मतदाता जोड़ने हैं। हर आवेदन नियमों के अनुरूप स्वीकार/अस्वीकार किया जाए। फॉर्म की जांच, दस्तावेजों की प्रमाणिकता और क्रम संख्या का ध्यान रखने की भी सख्त हिदायत दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा ने भी प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए डाउट सेशन में सभी शंकाएं दूर करने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह, तहसीलदार दिनेश साहू सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

त्रिवेणी-
मैनाली
फिर बा
पिछले

भील

भील

प्रदेश के
में पिछले
का भव
बाद स
सभी जि
में लगाव
सरकारी
आंगनबा
आदेश
दी है
तहत भी
दिनों में
अधिका
ब्लॉक
सर्वे कि

खन

भील

खनन
और उ
सिलिको
अगस्त
स्वास्थ्य
शिविर

जननायक

30 जुलाई 2025
पेज नंबर 06

बीएलओ का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ

जननायक | बेगूं। भारत निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र बेगूं (168) के तीनों उपखण्ड क्षेत्र बेगूं, गंगरार व रावतभाटा के समस्त बीएलओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 29 जुलाई को प्रारंभ हो गया।

उप जिला निर्वाचन एवं उपखंड अधिकारी ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं (168) के भाग संख्या 01 से 44 तक (समूह 1) के बीएलओं का पंचायत समिति सभागार गंगरार व भाग संख्या 89 से 145 तक (समूह 3) के बीएलओं का पंचायत समिति सभागार बेगूं एवं भाग संख्या 202 से 258 तक (समूह 4) के बीएलओं का नगर पालिका रावतभाटा सभागार में समूहवार 29 जुलाई को प्रातः 10 से दोपहर एक बजे तक तथा भाग संख्या 45 से 88 तक (समूह-2) के बीएलओं का पंचायत समिति सभागार गंगरार, भाग संख्या 146 से 201 तक (समूह-4) के बीएलओं का पंचायत समिति सभागार बेगूं एवं भाग संख्या 259 से 314 तक (समूह 6) के बीएलओं का नगर पालिका रावतभाटा सभागार में 30 जुलाई को प्रातः 10 से दोपहर एक बजे तक समूहवार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा।

गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत प्रशिक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता की उपस्थिति में बेगूं, एएलएमटी राजकुमार तोलम्बिया व राजेन्द्र कुमार जोशी प्रधानाचार्यए ने प्रक्षिक्षण दिया। गंगरार में एएलएमटी मुकेश कुमार यादव, व्याख्यता व सोहन लाल चौधरी प्रधानाचार्य तथा रावतभाटा में एएलएमटी ओमप्रकाश राठौड़, मोहम्मद एजाज अंसारी अध्यापक को मास्ट्रर ट्रेनर के साथ ही एक एक सहायक ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया है।

दैनिक भास्कर
प्रतापगढ़ 30-07-2025

विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ का प्रशिक्षण संपन्न

प्रतापगढ़| भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापगढ़ के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ 172 के समस्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) प्रतापगढ़ अश्विन मालू ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ 172 के मतदान केन्द्र संख्या 01 से मतदान केन्द्र संख्या 50 के बीएलओ एवं सुपरवाइजर का प्रशिक्षण सभागार जिला परिषद प्रतापगढ़ एवं मतदान केन्द्र संख्या 151 से मतदान केन्द्र संख्या 200 तक के बीएलओ एवं सुपरवाइजर का प्रशिक्षण सभागार, पंचायत समिति अरनोद में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में बीएलओ एवं सपुरवाईजर को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु इनुमरेशन फॉर्म के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान प्रत्येक बीएलओ एवं सुपरवाइजर का ऑनलाइन एग्जाम भी लिया गया। ईआरओ मालू ने प्रशिक्षण में बीएलओ को नए नाम जोड़ने हेतु फॉर्म संख्या 6, विवरण में संशोधन हेतु फॉर्म संख्या 8 एवं नाम विलोपन हेतु फॉर्म संख्या 7 के बारे में विस्तृत से बताया। बीएलओ एप्लीकेशन के बारे में सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी विजयेश पाण्ड्या द्वारा प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया एवं बीएलओ को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया।

जर्जर भवनों में नहीं बिठाने के

प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ का एकदिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

प्रतापगढ़। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतापगढ़ के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़ 172 के समस्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) प्रतापगढ़ अश्विन भानु ने बताया कि मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ 172 के मतदान केन्द्र संख्या 01 से मतदान केन्द्र संख्या 50 के बीएलओ एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण सभागार जिला परिषद् प्रतापगढ़ एवं मतदान केन्द्र संख्या 151 से मतदान केन्द्र संख्या 200 तक के बीएलओ एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण सभागार, पंचायत समिति अरनोद में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बीएलओ एवं सुपरवाईजर को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु इनुमरेशन फॉर्म के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान प्रत्येक बीएलओ एवं सुपरवाईजर का ऑनलाईन एक्जाम भी लिया गया। ईआरओ भानु ने प्रशिक्षण में बीएलओ को नये नाम जोड़ने हेतु फॉर्म संख्या 06, विवरण में संशोधन हेतु फॉर्म संख्या 08 एवं नाम विलोपन हेतु फॉर्म संख्या 07 के बारे में विस्तृत से बताया। साथ ही बीएलओ एप्लीकेशन के बारे में सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजयेश पाण्ड्या द्वारा प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया एवं बीएलओ को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री उज्ज्वल जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन उपस्थित रहे। बुधवार को 30/07/2025 को मतदान केन्द्र संख्या 51 से 100 तक के बीएलओ एवं सुपरवाईजर का सभागार जिला परिषद्, प्रतापगढ़ में एवं मतदान केन्द्र संख्या 201 से 250 तक बीएलओ एवं सुपरवाईजर के प्रशिक्षण सभागार पंचायत समिति अरनोद में आयोजित किया जायेगा।

बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

नवज्योति/बालोतरा। आगामी चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारु और त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को बालोतरा जिले के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़े-हटाने और त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षकों ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही, उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज लिए जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

सफल लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरूकता जरूरी : पर्यवेक्षक सारण

नवज्योति/पाटोदी।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलानाडी में निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार ईएलसी गठन एवं मतदाता साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्वाचन विभाग पर्यवेक्षक भंवरलाल सारण ने कहा, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाताओं की जागरूकता जरूरी हैं। विद्यालय स्तरीय विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नए मतदाताओं को जोड़ने एवं जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व करें। प्राचार्य शिवलाल जीनगर ने छात्रों को निर्वाचन गतिविधियों के प्रति अपनी समझ विकसित करने की बात कहीं।व्याख्याता उपेंद्र कुमार ने विस्तार से नए मतदाता पंजीकरण एवं पुनरीक्षण के बारे में छात्रों को बताया। इस मौके ईएलसी प्रभारी जगदीश कुमार बेरवा, व्याख्याता देवीसिंह, बीएलओ मगाराम प्रजापत, शंकरलाल प्रजापत व देवी सिंह भाटी मौजूद रहे।

कक्षा 12 के छात्र रघुवीर को ईएलसी चेयरमैन और छात्रा रिंका को वाइस चेयरमैन बनाया तथा 18 छात्रों की कमेटी का गठन किया गया। छात्रा दुर्गा ने छात्रों को लोकतंत्र रक्षा एवं निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई।

सफल लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरूकता जरूरी

पाटोदी @ पत्रिका. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलानाडी में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईएलसी (इलेक्टर्स लिटरेसी क्लब) गठन एवं मतदाता साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्वाचन विभाग के पर्यवेक्षक भंवरलाल सारण ने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाताओं की जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी नई जिम्मेदारी निभाते हुए नवमतदाताओं को जोड़ने एवं जागरूकता अभियान में नेतृत्व करें। प्राचार्य शिवलाल जीनगर ने छात्रों से निर्वाचन गतिविधियों की गहरी समझ विकसित करने का आह्वान किया। व्याख्याता उपेंद्र कुमार ने नए मतदाता पंजीकरण एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी दी। इस अवसर पर ईएलसी प्रभारी जगदीश कुमार बेरवा, व्याख्याता देवी सिंह, बीएलओ मगाराम प्रजापत, शंकरलाल प्रजापत और देवी सिंह भाटी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कक्षा 12 के छात्र रघुवीर को ईएलसी चेयरमैन एवं छात्रा रिंका को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। 18 छात्रों की कमेटी का गठन किया गया। छात्रा दुर्गा ने उपस्थित छात्रों को लोकतंत्र की रक्षा एवं निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई।

दैनिक भास्कर बालोतरा 25-07-2025

लोकतंत्र के लिए मतदाताओं में जागरूकता जरूरी : सारण

पाटोदी | राउमावि चिलानाडी में निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार ईएलसी गठन एवं मतदाता साक्षरता कार्यक्रम आयोजित हुआ। निर्वाचन विभाग पर्यवेक्षक भवरलाल सारण ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदाताओं की जागरूकता जरूरी है। विद्यालय स्तर विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नए मतदाताओं को जोड़ने एवं जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व करें।

प्राचार्य शिवलाल जीनगर ने छात्रों को निर्वाचन गतिविधियों के प्रति अपनी समझ विकसित करने की बात कहीं।

व्याख्याता उपेंद्र कुमार ने विस्तार से नए मतदाता पंजीकरण एवं पुनरीक्षण के बारे में छात्रों को बताया। कक्षा 12 के छात्र रघुवीर को ईएलसी चेयरमैन व छात्रा रिंका को वाइस चेयरमैन बनाया तथा 18 छात्रों की कमेटी का गठन किया गया। छात्रा दुर्गा ने छात्रों को लोकतंत्र रक्षा एवं निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई।

कार्यशाला • आगामी चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर निर्वाचन कर्मचारियों का क्षमता संवर्द्धन किया

बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण

भास्कर न्यूज़ | बालोतरा

बालोतरा . एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मौजूद अधिकारी।

आगामी चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारू व त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिले के बूथ लेवल अधिकारी व सुपरवाइजर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान दक्ष प्रशिक्षकों की ओर से प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने व त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षकों ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता व सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने व त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों व उनके समाधान पर भी चर्चा की गई।

इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 1 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 2 दस्तावेज लिए जाने है, जिसमें 1 दस्तावेज स्वयं का एवं 1 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है।

तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिए जाने है, जिनमें 1 दस्तावेज स्वयं का एवं 1- 1 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

मरुमंच न्यूज

बालोतरा। आगामी चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारु और त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को बालोतरा जिले के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निदेर्शानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निदेर्शों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने और त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षकों ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही, उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज जिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। आगामी चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारु और त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को बालोतरा जिले के बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता संवर्द्धन किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नामों को जोड़ने-हटाने और त्रुटियों को सुधारने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रशिक्षकों ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

कार्यशाला में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की पूर्व तैयारियों और इसके निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने, मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाने और त्रुटियों को सुधारने के तरीके सिखाए गए। साथ ही, उन्हें आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। इस दौरान संवैधानिक प्रावधानों एवं वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिसमें प्रथम श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, से स्वयं का 01 दस्तावेज लेना है। द्वितीय श्रेणी के मतदाता जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उनसे 02 दस्तावेज जिये जाने है, जिसमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01 दस्तावेज माता अथवा पिता किसी का भी ले सकते है। तृतीय श्रेणी के वो मतदाता जिनका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनके तीन दस्तावेज लिये जाने है, जिनमें 01 दस्तावेज स्वयं का एवं 01-01 दस्तावेज माता और पिता का लिया जाना है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची 2002 में दर्ज है, उनसे गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज नहीं लेना है।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान

2002 की मतदाता सूची में शामिल नाम होगा पहचान का प्रमाण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जायल. प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद बीएलओ।

जायल. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को उपखण्ड कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 53 से 104 तक के बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षक एसीबीईओ उमरदीन छीपा, रामकुमार रेवाड़ व राजेश मिथर कहा कि मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। इस संबंध में प्रत्येक मतदाता से आवश्यक दस्तावेज लेकर मतदाता सूची का अद्यतन किया जाएगा। वर्ष 2002 की मतदाता सूची में शामिल नाम पहचान के रूप में मान्य है। अगर किसी मतदाता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में शामिल है तो वो ऑनलाइन सीईओ राजस्थान पोर्टल से मतदाता सूची निकालकर मतदाता सूची में अद्यतन के लिए बीएलओ को प्रस्तुत कर सकता है। नाम में अगर संशोधन है तो अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ में प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें नई मतदाता सूची में शुद्ध नाम दर्ज हो सकेगा इस दौरान निर्वाचन शाखा प्रभारी नन्दकिशोर, ओमप्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार स्वामी ने प्रशिक्षण दिया।

दैनिक भास्कर

डीडवाना कुचामन भास्कर 30-07-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण • पंचायत समिति के सभा कक्ष में सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों को दी जानकारी

मतदाता के नाम जोड़ने व दस्तावेजों की दी जानकारी

2004 के बाद जन्म होने वालों को स्वयं, माता व पिता के स्थान के दस्तावेज देने होंगे

भास्कर न्यूज | मकराना

डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर ओमप्रकाश राड ने कहा है कि प्रयास ये रहे कि जोड़े जाने वाले शत प्रतिशत नाम मतदाता सूची में जुड़े। राड मंगलवार को पंचायत समिति के सभा कक्ष में सुपरवाइजर एवं बूथ लेवल अधिकारियों के लिए आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बोल रहे थे। इसी तरह असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर मनोज जांगिड़, तेजाराम एवं गणेशाराम ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में गणना प्रपत्र को लेकर जानकारी दी। साथ ही बताया कि मतदाता का नाम, जन्म तिथि आदि में संशोधन के दस्तावेज भी बताए।

मकराना. पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेते सुपरवाइजर व अधिकारी।

वहीं चुनाव प्रभारीभंवरराम ने बताया कि वर्ष 2002की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम है, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना है। इसके अलावा जिनका जन्म एक जुलाई1987 से पूर्व हुआ, उन्हें स्वयं काजन्म तिथि व जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देने है। जिनका जन्म एक जुलाई 1987 के बाद और दो दिसंबर 2004 से पहले हुआ है उन्हें स्वयं और माता पिता में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देने है। इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं का जन्म दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ है उन्हें स्वयं, माता व पिता तीनों के जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देने है। इसी तरह वांछित दस्तावेजों की सूची में किसी केन्द्रीय सरकार /राज्यसरकार /पीएसयू के नियमित कर्मचारी/ पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र पेंशन संदाय आदेश, भारत में एक जुलाई 1987 से पूर्व सरकार/ स्थानीय प्राधिकारियों बैंकों/ डाकघर/ एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया

गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में वीसी के जरिये ली बैठक

डीडवाना| गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत ने मंगलवार को वीसी के जरिये बैठक लेकर सभी ईआरओ, एईआरओ, सीबीईओ एवं एसीबीईओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान करने, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे सभी प्रकार की जानकारी दी।

दैनिक नवज्योति
nagaur - 30 Jul 2025 - Page

जिला निर्वाचन अधिकारी ने वीसी के जरिए ली बैठक, दिए दिशा निर्देश

डीडवाना। गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत ने मंगलवार को वीसी के जरिए बैठक लेकर सभी ईआरओ, एईआरओ, सीबीईओ एवं एसीबीईओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े संबंधित अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान करने, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे सभी प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी एवं प्रक्रिया की सूचना स्वयंसेवकों के माध्यम से मतदाताओं को देने के निर्देश दिए।

गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने वीसी के जरिये ली बैठक

डीडवाना। (आस-पास ब्यूरो) गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत ने मंगलवार को वीसी के जरिये बैठक लेकर सभी ईआरओ, एईआरओ,सीबीईओ एवं एसीबीईओ को आवश्यक दिशा - निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े संबंधित अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान करने, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे सभी प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी एवं प्रक्रिया की सूचना स्वयंसेवकों के माध्यम से मतदाताओं को देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में आयोजित किये जा रहे बीएलओ के प्रशिक्षण की जानकारी लेकर प्रशिक्षण समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर महेंद्र मीणा, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह एवं सुबे सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे एवं सभी ब्लॉक के निर्वाचन से जुड़े अधिकारी वीसी जुड़े रहे।

गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने वीसी के जरिये ली बैठक

डीडवाना (हुक्मनामा समाचार)। गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत ने मंगलवार को वीसी के जरिये बैठक लेकर सभी ईआरओ, एईआरओ,सीबीईओ एवं एसीबीईओ को आवश्यक दिशा - निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े संबंधित अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान करने, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे सभी प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी एवं प्रक्रिया की सूचना स्वयंसेवकों के माध्यम से मतदाताओं को देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में आयोजित किये जा रहे बीएलओ के प्रशिक्षण की जानकारी लेकर प्रशिक्षण समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर महेंद्र मीणा, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह एवं सुबे सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे एवं सभी ब्लॉक के निर्वाचन से जुड़े अधिकारी वीसी जुड़े रहे।

गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने वीसी के जरिये ली बैठक

◆ ईआरओ सहित निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों को दिये निर्देश

डीडवाना-कुचामन (सीमा सन्देश सं)। गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (रक्फ़) के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत ने मंगलवार को वीसी के जरिये बैठक लेकर सभी ईआरओ, एईआरओ,सीबीईओ एवं एसीबीईओ को आवश्यक दिशा - निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े संबंधित अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान करने, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे सभी प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी एवं प्रक्रिया की सूचना स्वयंसेवकों के माध्यम से मतदाताओं को देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में आयोजित किये जा रहे बीएलओ के प्रशिक्षण की जानकारी लेकर प्रशिक्षण समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर महेंद्र मीणा, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह एवं सुबे सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे एवं सभी ब्लॉक के निर्वाचन से जुड़े अधिकारी वीसी जुड़े रहे।

दैनिक भास्कर मेड़ता भास्कर 30-07-2025

बीएलओ को प्रशिक्षण दे लिया टेस्ट, ज्ञान जांचा

भास्कर न्यूज | जायल

उपखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जायल विधानसभा क्षेत्र के भाग 53 से भाग 104 तक के बीएलओ का प्रशिक्षण हुआ।

इसमें प्रशिक्षण प्राप्त डीएलएमटी एसीबीईओ उमरदीन छींपा, एएलएमटी रामकुमार रेवाड, राजेश सिंवर ने एसआईआर के तहत निर्वाचक नामावलियों का अद्यतन करने के लिए समस्त मतदाताओं की तीन श्रेणियों व गणना प्रपत्र के माध्यम से सूची तैयार करने की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रशिक्षण में बीएलओ एप, वीएचए एप एवं अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में निर्वाचन शाखा प्रभारी नंद किशोर, ओमप्रकाश शर्मा व दिनेश कुमार स्वामी ने चर्चा की।

डेगाना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत

बीएलओ व पर्यवेक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ

ढोलामारू न्यूज

डेगाना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा स्तरीय बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं उनके पर्यवेक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार, 28 जुलाई को पंचायत समिति हॉल, डेगाना में प्रारंभ हुआ।

प्रशिक्षण के प्रथम दिन 51 बीएलओ व 5 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान जिला स्तरीय प्रशिक्षक तुलछाराम एवं विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षकों अनिल कुमार शर्मा, हनुमानराम मेहरा, रवि गोदारा, सोहनलाल, रामेश्वरलाल जाट, सांवलराम, मोहम्मद आरिफ, राजूराम व महावीर शर्मा ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी।

प्रशिक्षण में बीएलओ को गणना प्रपत्र का वितरण व संग्रहण, आवश्यक 11 प्रकार के दस्तावेजों की सूची, उनके कर्तव्य, व्यवहार, भाषा की शालीनता और वेशभूषा के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। डोर-टू-डोर सर्वे, अभियान का प्रचार-प्रसार, नवाचार व चुनाव संबंधी नए नियमों से भी अधिकारियों को अवगत कराया गया।

बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 जुलाई से, विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शेड्यूल जारी

फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत होगा प्रशिक्षण

नवज्योति/जोधपुर।

निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तर से एवं जिला स्तर से संबंधित विधानसभा मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जवाहर चौधरी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना के अनुसार प्रशिक्षण संलग्न सारणी अनुसार निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की गई फाइनल पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र की फोटोग्राफ्स एवं वीडियो रिकार्डिंग कर प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।

विधानसभा-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा

शेरगढ़ विधानसभा

30 जुलाई-पंचायत समिति कार्यालय शेरगढ़, उपखंड कार्यालय बालेसर, पंचायत समिति कार्यालय सेखाला।

31 जुलाई-पंचायत समिति कार्यालय शेरगढ़, उपखंड कार्यालय बालेसर, पंचायत समिति कार्यालय सेखाला।

ओसियां विधानसभा

30 जुलाई-पंचायत समिति सभागार ओसियां, पंचायत समिति अंबेडकर भवन तिंवरी।

31 जुलाई-पंचायत समिति सभागार ओसियां।

भोपालगढ़ विधानसभा

30, 31 जुलाई व 1 अगस्त-प्रतिदिन दो पारियों में: प्रातः 9.30 बजे व दोपहर 1.30 बजे।

सरदारपुरा विधानसभा

30, 31 जुलाई व 1 अगस्त-राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महामंदिर लालसागर।

जोधपुर विधानसभा

30 जुलाई-बैच-1, 31 जुलाई-बैच-2, 1 अगस्त-बैच-3

सूरसागर विधानसभा

30, 31 जुलाई व 1 अगस्त-पीएम श्री जीएसएसएस, सिवांची गेट सैकंड, पुलिस चौपसनी हाउसिंग बोर्ड।

लूणी विधानसभा

30 जुलाई-पंचायत समिति सभागार, पाल रोड, 31 जुलाई-पाल रोड व एसडीएम ऑफिस लूणी, 1 अगस्त-पंचायत समिति सभागार, पाल रोड।

बिलाड़ा विधानसभा

30, 31 जुलाई व 1 अगस्त-तीनों दिन प्रशिक्षण आयोजित।

स्थान- राजकीय आईटीआई कॉलेज बिलाड़ा हॉल संख्या 1 और 2

बीएलओ को दिया सूचियों के पुनरीक्षण का प्रशिक्षण

4 विस क्षेत्र के BLO हुए शामिल

जोधपुर|निर्वाचन विभाग के निर्देशों के तहत मंगलवार चार विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ओसियां विधानसभा का पंचायत समिति सभागार ओसियां एवं पंचायत समिति अंबेडकर भवन तिंवरी में, सूरसागर विधानसभा का पीएमश्री राउमावि सिवांचीगेट द्वितीय पुलिया चौहाबो, लूणी विधानसभा का पंचायत समिति सभागार पालरोड और एसडीएम ऑफिस लूणी में, सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र का राबाउमावि महामंदिर, लाल मैदान में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूचियों के बारे में समझाया गया। जिसमें मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी में 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्म लेने वाले व्यक्ति जिनको केवल स्वयं के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दूसरी श्रेणी में 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति जिनको अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तीसरी श्रेणी में 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों के दस्तावेजों की प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों के आधार पर पूर्व में छपे गणना प्रपत्रों के माध्यम से सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। इसके अलावा बीएलओ एप, वीएचए एप तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर मतदाता सत्यापन, फॉर्म भरने एवं डाटा अपलोड करने की तकनीकी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।

आनंद सिंह राठौड़, लक्षित सहित भक्त उपस्थित रहे।

डॉ. प्रतिभा सिंह ने घरेलू उपभोक्ताओं को

करने के निर्देश दिए। उन्होंने FRT टीमों को सचि

बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु प्रशिक्षण सम्पन्न

मतदाता सूचियों के अद्यतन हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया समझाई

जोधपुर/नवज्योति। निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में जोधपुर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन - SIR) के अंतर्गत बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय प्रशिक्षित DLMTs एवं जिला स्तरीय ALMTs द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। ओसियां विधानसभा के लिए पंचायत समिति सभागार ओसियां एवं पंचायत समिति अम्बेडकर भवन तिंवरी में, सूरसागर विधानसभा के लिए पीएमश्री जीएसएसएस सींवाची गेट, सेकण्ड पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में, लूणी विधानसभा के लिए पंचायत समिति सभागार पाल रोड जोधपुर तथा एसडीएम ऑफिस लूणी में, और सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महामंदिर, लाल मैदान में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

प्रशिक्षकों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया समझाई गई, जिसमें मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी में 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्म लेने वाले व्यक्ति आते हैं, जिन्हें केवल स्वयं के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दूसरी श्रेणी में 2 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति आते हैं, जिन्हें अपने साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तीसरी श्रेणी में 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति आते हैं, जिन्हें स्वयं के साथ-साथ माता एवं पिता दोनों के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर पूर्व में छपे गणना प्रपत्रों के माध्यम से सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। इसके अतिरिक्त, बीएलओ ऐप, वीएचए ऐप तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर मतदाता सत्यापन, फॉर्म भरने एवं डाटा अपलोड करने की तकनीकी प्रक्रिया का भी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।